कार्यालय

मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल

भोपाल म0प्र0

क्रमांक / म.प्र.न.रजि.कौं. / 2019 / 10503 भोपाल, दिनांक 19 / 09 / 2019

प्रति,

समस्त प्राइवेट,
ए.एन.एम., जी.एन.एम., बी.एस.सी. नर्सिंग,
पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग एवं एम.एस.सी. नर्सिंग
मान्यता प्राप्त संस्थायें

विषयः— क्लीनीकल प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी अतिशीघ्र भेजने बाबत्।

उपरोक्त विषय में लेख है कि जिन नर्सिंग संस्थाओं को नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 के अंतर्गत वर्ष 2018—19 के लिये मान्यता प्राप्त करने हेतु शासकीय जिला चिकित्सालय / चिकित्सा महाविद्यालय में बिस्तर आबंटन कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0 द्वारा किए गये है। उसी आबंटन के अनुसार छात्र—छात्राओं को क्लीनीकल प्रशिक्षण कराने हेतु सभी मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थाओं द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत छात्र—छात्राओं को क्लीनीकल प्रशिक्षण कराया गया होगा उस संबंध में कार्यालय द्वारा चाही गयी जानकारी प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में पत्र जारी किया गया था उसके संदर्भ में कई मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थाओं के द्वारा जानकारी अपूर्ण भेजी गयी है इसलिये आपको पुनः सूचित किया जाता है कि **डी.डी. / चैक की छायाप्रति, रोगी कल्याण समिति द्वारा प्राप्त फीस की रशीद, छात्र—छात्राओं की सूची सिविल सर्जन / अधिष्ठता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी पत्र की प्रति, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि आपके संस्था द्वारा जो राशि चैक या डी.डी. के माध्यम से भेजी गयी थी वह भुगतान रोगी कल्याण समिति को प्राप्त हुआ है या नहीं। एवं कितने छात्र—छात्राओं ने क्लीनीकल प्रशिक्षण दिनांक 01.01.2019 के उपरांत प्राप्त किया है।** समस्त जानकारी संस्था द्वारा प्रमाणित कर पत्र के माध्यम से 7 दिवस में अतिशीघ्र कार्यालय में प्रस्तुत करें। चाही गयी जानकारी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपकी संस्था द्वारा नर्सिंग छात्र—छात्राओं को आबंटन अनुसार शासकीय चिकित्सालय में क्लीनीकल प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस स्थिति में आपकी संस्था की मान्यता निरस्त करने हेतु कार्यावाही की जायेगी।

19/9/19

रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल म0प्र0।